न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 09/2018 अपील /प्रतापगढ
पंजीयन दिनांक– 06–11–2018
निर्णय दिनांक– 12.04.2019

श्री कालूलाल पिता धूलजी कलाल निवासी मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।
..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बलवन्त सिंह पिता शम्भूसिंह राजपूत निवासी मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।
2. श्री पूरणसिंह पिता शम्भूसिंह राजपूत निवासी मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।
3. श्री शत्रुघनसिंह पिता शम्भूसिंह राजपूत निवासी मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।
4. श्री भेरूलाल पिता कालूलाल कलाल निवासी मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।
5. श्री खानुराम पिता चुन्नीलाल कलाल निवासी मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।
6. श्री शंकरलाल पिता चुन्नीलाल कलाल निवासी मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।
7. श्रीमती चन्दन देवी पत्नी चुन्नीलाल कलाल निवासी मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।
8. श्री भेरूसिंह पिता राजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।
9. श्रीमती रामकुंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह राजपूत निवासी मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :
श्री मोहनलाल गायरी : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मुरलीधर पालीवाल : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3,8,9

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धरियावद
के प्रकरण संख्या 18/2017 निर्णय दिनांक 16–05–2018

निर्णय

दिनांक– 12.04.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धरियावद प्रकरण संख्या 18/2017 निर्णय दिनांक 16–05–2018 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 06.11.2018 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुण्डकोशिया तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़ की आराजी नम्बर 44/1 रकबा 1.06 बीघा, आराजी नम्बर 53 रकबा 1.11 बीघा एवं आराजी नम्बर 55 रकबा 1.14 बीघा कुल किता 3 रकबा 4.01 बीघा तथा आराजी नम्बर 30/1 रकबा 0.13 बिस्वा स्थित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम सहखातेदारी से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. सं. 1 से 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बाबत पत्थरगढी कराने का प्रस्तुत करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धरियावद द्वारा दिनांक 16–05–2018 को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये गये ।

उक्त निर्णय व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3,8,9 के अधिवक्ता द्वारा लिखीत बहस प्रस्तुत की गई एवं दिनांक 04.04.2019 को उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट रेस्पो. सं. 1 को बिना कोई सूचना दिये एवं बिना सम्मन तामील कराये उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए आलोच्य अपीलीय आदेश पारित कर दिया गया । अपीलान्ट न तो न्यायालय में उपस्थिति दे सका और न ही अपनी प्रतिरक्षा कर सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति शब्द का अंकन करते हुए यह अभिकथन अभिलिखित किया कि प्रतिवादी भेरूलाल रेस्पो. सं. 4 एवं कालुलाल अपीलान्ट ने उपस्थित होकर लिखित में पेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया कि यदि वादी बलवन्त सिंह की भूमि की नपती के साथ–साथ मेरी क्रय शुदा भूमि का भी सीमांकन किया जावे तो उसे आपत्ति नहीं है। जबकि अपीलान्ट को तो अधीनस्थ न्यायालय से उक्त प्रकरण की कोई सूचना एवं सम्मन हीं प्राप्त नहीं हुए और न ही उक्त प्रकरण की कार्यवाही में वह उपस्थित हुआ। रेस्पो. सं. 1, 2, 3 द्वारा अपीलान्ट की भूमि में अतिक्रमण करने एवं उसकी भूमि को हड़पने की कुमंशा से उक्त पत्थर गढी का प्रार्थना पत्र असद्भावित एवं असत्य आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करते हुए अपीलान्ट की भूमि का भू–भाग बदनियती पूर्वक हड़पने में सफल हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रा0पत्र को निरस्त करने के बजाय उनकी कुमंशा को साकार करते हुए वास्तवित तथ्यों का समुचित रूप से विवेचन नहीं कर सदफभावना एवं सद्भावना के बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई मनन नहीं कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पत्थरगढ़ी का आदेश पारित कर दिया गया। विचारणीय प्रकरण के दौरान अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के विपक्षी सं. 3 श्री चुन्नीलाल पिता कालुजी कलाल का देहावसान हो जाने के बाद भी विधि अनुसार उनके तीन वारिसानों की उक्त प्रकरण में नामकायमी कराये बिना ही आदेश पारित किया गया है। रेस्पो. सं. 1,2,3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पक्षकारों के असंयोजन से ग्रसित है वही दुसरी ओर अनावश्यक पक्षकारों के संयोजन से भी ग्रसित है। उक्त आराजियात में रेस्पो. सं. 5 खातेदार नहीं होते हुए भी अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं. 1 से 3 तथा रेस्पो. सं. 8 व 9 की भूमि के बीच में लगभग 100–150 वर्षो से आड़ कायम होकर पक्की दीवार बनी हुई है जिसके रहते सीमा विवाद का कोई मामला ही नहीं है फिर भी सीमा विवाद का मामला बताकर एवं पत्थर गढ़ी/सीमांकन करने का अनुतोष प्रदान कराने हेतु रेस्पो. सं. 1 से 3 द्वारा बदनियती से ग्रसित होकर एवं अपीलान्ट के साथ आपसी रंजिश के चलते हुए राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत एवं शह के आधार पर हैरान व परेशान करने तथा आर्थिक नुकसान करने एवं अपीलान्ट की जमीन को हड़पने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में कानूनी एवं वाकियाती भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 में किसी प्रकार की मालियत कायम नहीं की गई है जो विधि के प्रावधानों के अनुरूप विधिसम्मत नहीं होकर त्रुटिपूर्ण होकर अपास्त योग्य है। उक्त भूमि को रेस्पो. सं. 1, 2, 3, 8, 9 एवं सहखातेदार के द्वारा दिनांक 24.07.2018 को पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 24.07.2018 को श्रीमती भेरकी पत्नी भगवान मीणा निवासी अडआफला मुण्डकोशीया तहसील धरियावद को विक्रय कर दी है जिससे उक्त भूमि का स्वामित्व परिवर्तन हो चुका है। स्वामित्व एवं आधिपत्य परिवर्तित हो जाने से रेस्पो. अपने पक्ष में किसी प्रकार का अनुतोष पारित करवाने के अधिकारी भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर उक्त प्रकरण को न्यायहित में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट में अपनी लिखित बहस में बताया कि प्रश्नगत अपील जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है वह सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो. का सम्मन प्राप्ति के बाद रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया एवं अपीलार्थी से अपील मेमो देने का निवेदन किया गया जो अपीलार्थी द्वारा नहीं दिया गया तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी 04.04. 2019 को अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर उसी दिवस अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर दी। रेस्पो सं. 1 से 3, 8 व 9 के अधिवक्ता द्वारा इस बाबत एजराज किया गया कि अपील मेमो अपीलार्थी से प्रापत नहीं हुआ है जिससे रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता बहस करने पर असमर्थ है तब उसी दिवस को अपील मेमो अपीलार्थी द्वारा प्रदान किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.04.2019 से पूर्व अपनी लिखित बहस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आप न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को गलत बताते हुए रेस्पोडेन्ट के साथ मारपीट व गालीगलोच की गई जिस पर एक परिवाद रेस्पोडेन्ट द्वारा पुलिस थाना धरियावद में अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज कराया गया जिस पर पुलिस थाना धरियावद द्वारा अपीलार्थी के पुत्र भेरूलाल व चुन्नीलाल के पुत्र खानुलाल को दिनांक 14.07.2018 को श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट धरियावद के यहां धारा 107–151 जा.फो. में पाबन्द किया गया था जो एनेक्सर नं. 1 है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसको अपीलार्थी द्वारा सहमति से निस्तारित किया गया था जिसमें उसके स्वयं के हस्ताक्षर थे तथा स्वयं के निवेदन के उपरान्त ही उक्त पत्थरगढ़ी की गई है जिसके पर्चा मौका पर अपीलार्थी के पुत्र भेरूलाल के हस्ताक्षर है। जो एनेक्सर न. 2 है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा मौके पर रेस्पो. के साथ मारपीट व गालीगलोच की गई जिस पर न्यायालय द्वारा उसे पाबन्द किया तथा अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाना धरियावद द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा नम्बर 136/2018 में धारा 107–151 के आरोपों को स्वीकार किया गया है जिसका सम्पूर्ण उल्लेख एनेक्सर नं. 1 है जिससे स्पष्ट होता है अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी शुरू से ही थी तो उसके द्वारा लगभग 6 माह की देरी से अपील माननीय न्यायालय हाजा आप में प्रस्तुत की गई है जो मयाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा मिथ्या कथन कर उक्त अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा सम्मन तामिल नहीं कराये जाने का उज्र लिया गया है जो सर्वथा मिथ्या है अपीलार्थी के पुत्र भेरूलाल अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार हो विपक्षी सं. 2 के निवेदन पर ही उक्त पत्थरगढ़ी सहमति से की गई है जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में अंकित है जो एनेक्सर नं. 3 है। पथरगढ़ी के विवाद में सिर्फ सीमाओं का नक्शा ट्रेस के आधार पर पत्थर लगाकर सीमांकन किया जाता है इसमें किसी भी पक्षकार के अधिकार एवं स्वत्व को तय नहीं किया जाता है इसलिए जो पत्थरगढ़ी की गई है वह राजस्व अधिकारी

द्वारा विधि सम्मत नियमानुसार की गई है। अपीलार्थी सिर्फ सम्मन तामिल का बहाना बनाकर सहमति से हुई पत्थरगढ़ी को बेवजह विवाद उत्पन्न कर रहा है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी मिथ्या आरोप लगाये गये है जबकि पत्थरगढ़ी में उसके किसी भूभाग को रेस्पो. को नहीं दिया गया है। राजस्व अधिकारी के द्वारा पूर्ण जिम्मेदारी से नक्शा ट्रेस अनुसार पत्थरगढ़ी की गई है। अपीलार्थी स्वच्छ मंशा से न्यायालय में नहीं आया है वह अपनी सहमति को भी असहमति सिद्ध करवा मिथ्या विवाद पैदा करने की गरज से उक्त पील पेश की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो. द्वारा अपीलार्थी के अधिकारों को क्रय नहीं किया जा रहा है न ही अपीलार्थी के हिस्से को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने नाम किये जाने की कार्यवाही की जा रही है इसलिए उक्त आरोप सर्वथा मिथ्या है मौके पर यदि अपीलार्थी का कोई भूभाग किसी अन्य रेस्पोडेन्ट के अन्दर मिला दिया गया हो तब उक्त उज्र मान्य है अन्यथा नहीं । अपीलार्थी का यह उज्र कि प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन व असंयोजन से ग्रसित का कथन सर्वथा मिथ्या है। अपीलार्थी कालुलाल के पुत्र भेरूलाल पत्थरगढ़ी किये जाते समय स्वयं उपस्थित थे जिनके पर्चा मौका जो एनेक्सर नं. 2 है पर हस्ताक्षर है। जिस प्रश्नगत अपील जो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है और इस बाबत अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस की क्र. सं. 8 में स्वयं यह कथन कर आया है कि प्रश्नगत आराजीयात की कृषि भूमि रेस्पो. सं. 1 से 3 , 8 व 9 के बारे में अपीलार्थी ने स्वयं कहां है कि उनके द्वारा प्रश्नगत आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय दिनांक 24.07.2018 को श्रीमती भेरकी पत्नी भगवान मीणा निवासी आडुफला मुण्डकोसिया तहसील धरियावद को किया जा चुका है जो एनेक्सर नं. 4 है। जिससे उक्त भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य परिवर्तित हो चुका है और प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोश पारित करने का अधिकारी नहीं रहा है इस प्रकार स्वयं अपीलार्थी द्वारा यह माना जा चुका है कि प्रश्नगत आराजी का स्वामित्व एवं आधिपत्य परिवर्तित हो चुका है तो अपीलार्थी रेस्पा. सं. 1 से 3, 8 व 9 से किसी प्रकार की राहत व अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहा है जहां तक कुसंयोजन व असंयोजन का प्रश्न है अपीलार्थी स्वयं ने प्रश्नगत अपील उक्त स्वामित्व आधिपत्य रेस्पो. सं. 1 से 3, 8 व 9 के द्वारा परिवर्तन के उपरान्त भी श्रीमती भेरकी पत्नी भगवान मीणा को भी उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे अपीलार्थी स्वयं की अपील ही दुषित होकर असंयोजन व कुसंयोजन से प्रभावित है। इस प्रकार अपीलार्थी इस अपील में किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के मद्देनजर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। सर्वप्रथम हम प्रकरण में प्रार्थना पत्र 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश दिनांक 16.05.2018 को अपीलान्ट के पुत्र श्री भेरूलाल के आवेदन पर उसकी जानकारी में पारित किया गया है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस भी

अपीलान्ट को तामील हुए है तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.04.2018 अनुसार अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 1 की तामील मानी जाकर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट का यह कथन कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस ही तामील नहीं हुए अथवा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, उपरोक्त विवेचनानुसार तथ्यपरक एवं सही प्रतीत नहीं होता । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.05.2018 की यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.11.2018 को पेश हुई है जो करीब साढे तीन माह से अधिक विलम्ब से पेश हुई है तथा अपीलान्ट द्वारा दिये गये दफा 5 जा. मियाद के आवेदन में लिये गये आधार उचित व पर्याप्त नहीं है तथा तथ्यपूर्ण भी नहीं है इसलिए प्रथम दृष्टया ही अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है। प्रकरण में न्यायहित में हम अपीलान्ट के सारगर्भित अपील उज्रों पर भी विवेचन करना उचित समझते है। अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट की भूमि में अतिक्रमण किया गया है जबकि पत्थरगढ़ी की कार्यवाही में हस्ब राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा विधिक निशादेही कराई जाती है एवं पत्थरगढ़ी में किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता क्योंकि पत्थरगढ़ी वस्तुतः सीमा जानकारी/निशादेही का ही विधिक कार्य है। अपीलान्ट द्वारा विपक्षी सं. 3 की मृत्यु व उसके कायम मुकाम बाबत उज्र किया गया जिसके लिए वह विधिक रूप से अधिकृत नहीं है तथा सीमा जानकारी के प्रकरण में स्वत्व का निर्धारण नहीं होता अतः कायम मुकामान का उज्र अत्यन्त तकनीकी उज्र है जो इस समरी कार्यवाही में महत्वपूर्ण विधिक उपादेयता नहीं रखता ।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(एल0 एन0 मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official